न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– हरि राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0:–73/2018 **(223 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

1. मोहरबाई पत्नि श्री राधेश्याम जाति मीना निवासी ग्राम ठेकडीन तहसील राजगढ जिला अलवर राजस्थान,
2. राकेश पुत्र श्री राधेश्याम जाति मीना निवासी ग्राम ठेकडीन तहसील राजगढ जिला अलवर राजस्थान,
3. अशोक पुत्र श्री राधेश्याम जाति मीना निवासी ग्राम ठेकडीन तहसील राजगढ जिला अलवर राजस्थान,
4. सुभाष पुत्र श्री राधेश्याम जाति मीना निवासी ग्राम ठेकडीन तहसील राजगढ जिला अलवर राजस्थान,
5. उमेश पुत्र श्री राधेश्याम जाति मीना निवासी ग्राम ठेकडीन तहसील राजगढ जिला अलवर राजस्थान,
6. नेमीचन्द पुत्र श्री राधेश्याम जाति मीना निवासी ग्राम ठेकडीन तहसील राजगढ जिला अलवर राजस्थान,
7. खेली पुत्री श्री राधेश्याम जाति मीना निवासी ग्राम ठेकडीन तहसील राजगढ जिला अलवर राजस्थान,
8. भम्बल पुत्र श्री सोहनलाल जाति मीना निवासी ग्राम ठेकडीन तहसील राजगढ जिला अलवर राजस्थान,
9. छोटेलाल पुत्र श्री सोहनलाल जाति मीना निवासी ग्राम ठेकडीन तहसील राजगढ जिला अलवर राजस्थान,
10. मदनलाल पुत्र श्री सोहनलाल जाति मीना निवासी ग्राम ठेकडीन तहसील राजगढ जिला अलवर राजस्थान,
11. बाबूलाल पुत्र श्री सोहनलाल जाति मीना निवासी ग्राम ठेकडीन तहसील राजगढ जिला अलवर राजस्थान,
12. रामरतन पुत्र श्री सोहनलाल जाति मीना निवासी ग्राम ठेकडीन तहसील राजगढ जिला अलवर राजस्थान,

..... अपीलांट्स

बनाम

1. रामेश्वर पुत्र श्री पून्या जाति मीना निवासी ग्राम ठेकडीन तहसील राजगढ जिला अलवर राजस्थान,

2. मिश्री देवी पत्नि श्री रामसहाय जाति मीना निवासी मकान नंबर 211 मालीपाडा तहसील व जिला जैसलमेर राजस्थान,
3. दीपक पुत्र श्री रामसहाय जाति मीना निवासी मकान नंबर 211 मालीपाडा तहसील व जिला जैसलमेर राजस्थान।

.....असल रेस्पोडेण्ट

4. तहसीलदार राजगढ जिला अलवर राज0।

.....तरतीबी रेस्पोडेण्ट

उपस्थित :–
1. श्री अमर चन्द चौधरी, अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री गोविन्द सिद्ध, अभिभाषक रेस्पो0 ।

::: निर्णय :::

दिनांक :–16.12.2019

यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ के निर्णय व प्रारंभिक डिक्री दिनांक 20.06.2018 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि असल रेस्पो0 ने अपीलांटस व तरतीबी रेस्पो0 के खिलाफ आराजी खसरा नंबर हाल 596/0.48, 599/0.19, 601/0.49, 602/0.29, 607/0.11, 608/0.09, 612/0.06, 613/0.10, 616/0.26, 631/0.26, 633/0.31, 635/0.08, 637/0.14, 638/0.23, 640/0.12, 641/0.13 वाके ग्राम नांगलधर्मू तहसील राजगढ जिला अलवर राज0 बाबत एक राजस्व वाद संख्या 01/131/2017 अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 तकसीम एवं हुक्मइम्तनाई दवामी के तहत अदालत उपखण्ड अधिकारी राजगढ जिला अलवर राजस्थान में पेश किया गया। जिस वाद पत्र पर तहत अदालत द्वारा निर्णय एवं प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 20.06.2018 को अपीलांट के विरूद्ध पारित की गई है। जिस निर्णय एवं प्रारम्भिक डिक्री से व्यथित होकर अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया । तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी ।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस में दावें के तथ्यों को दोहराया और तहत न्यायालय द्वारा पारित आदेश का हवाला दिया । अपीलांट अभिभाषक का बहस में कथन है कि विवादित आराजी उपरोक्त पक्षकारान की सह खातेदारी की आराजी है, परन्तु बुजुर्गान के समय से ही विवादित आराजी को मुताबिक हिस्सा बाहमी तौर पर मौके पर बांट रखा है तथा बाहमी विभाजन के अनुसार अपने अपने हिस्से कब्जे की आराजी पर काश्त कर रहे हैं। मात्र राजस्व रिकार्ड में सहखातेदारी का अंकन हो रहा है। मौके पर विवादित आराजी का विभाजन हो चुका है, अविभाजित नही है। इसलिये वादीगण रेस्पो0 कानूनन विवादित आराजी का विभाजन कराने व कोई दावा विभाजन लाने के नैतिक एवं विधिक रूप से अधिकारी नही है। तहत अदालत में हम अपीलांटस व हमारे अभिभाषक व असल रेस्पो0 व उनके अभिभाषक

उपस्थित नही थे, और ना ही हम अपीलांटस द्वारा प्रारम्भिक डिक्री जारी करने की कोई सहमति दी गई, ना ही पक्षकारान के मध्य कोई राजीनामा हुआ, ना ही हम अपीलांटस के आदेशिका पर हस्ताक्षर हैं। पक्षकारान की अनुपस्थिति में तहत अदालत ने अपना निर्णय एवं प्रारम्भिक डिक्री राजस्व लोक अदालत कैम्प में गलत तरीके से पारित किया है। तहत अदालत द्वारा दिनांक 24.04.2018 को तनकीयात कायम की गई, वास्ते साक्ष्य वादीगण हेतु दिनांक 07.05.2018 नियत की गई थी। तहत अदालत ने ना तो कोई साक्ष्य ली और वाद वादीगण असल रेस्पो0 बिना साक्ष्य लिये, प्रारम्भिक डिक्री कर दिया गया जो कानूनन गलत है। विधिक प्रकिया एवं प्रावधानों के अनुसार राजस्व लोक अदालत में प्रकरण का मैरिट पर निस्तारण नही किया जा सकता है। तहत अदालत द्वारा प्रकरण कैम्प कोर्ट में नियत होने की कोई विधिवत सूचना हम अपीलांटस को नही दी गई। राजस्व कैम्प में सभी पक्षकारान उपस्थित नही थे और ना उनके अभिभाषक उपस्थित थे। तहत अदालत द्वारा पक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर नही दिया गया। तहत अदालत ने अपीलाधीन निर्णय एवं प्रारम्भिक डिक्री खिलाफ तथ्य कानून मौका साक्ष्य प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्तों एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 व विभाजन नियमों के प्रावधानों के विपरीत निष्कर्ष निकालते हुये पारित किये हैं। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर निर्णय एवं प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 20.06.2018 राजस्व वाद संख्या 01/131/2017 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ जिला अलवर अपास्त फरमाये जाने हेतु निवेदन किया गया।

जवाब में अभिभाषक रेस्पो0 का बहस में कथन है कि उपरोक्त विवादित आराजी में वादीगण रेस्पो0 के पिता,दादा,श्वसुर स्व0 पून्याराम पुत्र मोहनलाल 227/598 हिस्से, अपीलांट संख्या 1 लगायत 7 8/8 हिस्से, अपीलांट संख्या 8 लगायत 12 व उनकी माता सांवली देवी पत्नि सोहनलाल 227/598 हिस्से के मुताबिक जमाबंदी संवत 2069–72 रिकार्डेड खातेदार काश्तकार हैं। वादीगण असल रेस्पो0 के पिता, दादा व श्वसुर स्व0 पून्याराम पुत्र मोहनलाल तथा सांवली देवी पत्नि सोहनलाल का स्वर्गवास हो चुका है। किन्तु पून्याराम व सांवली देवी की विरासत का इंतकाल अभी तक क्रमशः वादीगण रेस्पो0 व प्रतिवादी अपीलांट संख्या 8 लगायत 12 के नाम दर्ज नही हो सका है। जबकि वादीगण रेस्पो0 मृतक पून्याराम के व प्रतिवादी अपीलांट संख्या 8 लगायत 12 मृतका सांवली देवी के विधिक व जायज वारिसान हैं और उनके हिस्से की आराजी पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। उक्त आराजी पक्षकारान की शामलाती आराजी है। जिसका विधिवत बंटवारा पक्षकारान के मध्य नही हुआ है। किन्तु पक्षकारान के मध्य विवादित आराजी का बाहमी तौर पर बंटवारा हो चुका है। अपीलांटस ने बाहमी तौर पर हुये बंटवारे में रेस्पो0 को आम रास्ते से दूर व स्वयं नजदीक आराजी प्राप्त की हुई है। जबकि अपीलांट बाहमी बंटवारे अनुसार रेस्पो0 को दी गई आराजी में व्यवधान उत्पन्न करते हैं। अपीलांट बाहमी बंटवारे में आई आराजी खसरा नंबर 608 तक रास्ता देने के इच्छुक भी नही है। अपीलांट द्वारा सामलाती आराजी में से बाहमी बंटवारे के अनुसार अच्छी कीमत व अच्छी आराजी आम रास्ते के पास की ले ली व रेस्पो0 को रास्ते से दूर की आराजी दे दी। जिससे पक्षकारान के मध्य विवाद है।जबकि विवादित आराजी वर्तमान में सामलाती आराजी है। कानूनन किसी भी शामलाती आराजी पर प्रत्येक सहखातेदार प्रत्येक इंच पर काबिज काश्तकार माना जाता है। रेस्पो0 का विवादित आराजी

के प्रत्येक भाग पर कब्जा व हिस्सा है। लेकिन अब विवादित आराजी को शामिल में काश्त किया जाना संभव नही है। इस कारण विवादित आराजी को तकसीम की जाकर पक्षकारान का पृथक पृथक खाता कायम करते हुये कब्जा कराया जाना न्यायोचित है। अपीलांट विवादित आराजी को दीगर शख्सों को मुंतकिल कर मुंतकिली का दस्तावेज पंजीबद्ध कराने की फिराक में है। जिससे रेस्पो0 अपने अधिकारों से हमेशा के लिये वंचित हो जायेंगे और उन्हें नापूर्ति होने वाली क्षति उत्पन्न होगी। अतः अपील अपीलांट खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

हमने उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । अपील के तथ्य तथा वाद के तथ्यों का अवलोकन किया गया और अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ के निर्णय व प्रारंभिक डिक्री दिनांक 20.06.2018 का अवलोकन किया गया । बहस पर मनन किया गया।

जमाबंदी संवत 2069–72 के अनुसार विवादित आराजीयात पक्षकारान की सहखातेदारी की आराजी है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के अनुसार प्रत्येक सहखातेदार को अपनी जोत का विभाजन कराने का अधिकार है। तहत अदालत के निर्णय दिनांक 20.06.2018 का अवलोकन किया गया। प्रारम्भिक पर्चा–डिक्री के अनुसार तहसीलदार मौका कमिश्नर को आदेशित किया गया है कि "मौके पर उपस्थित होकर पक्षकारान के मुताबिक हिस्सा हाल रिकार्ड अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी का विभाजन प्रस्ताव/कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार कर पेश करे।" इस प्रकार का प्रावधान भी नियम 18–21 के अनुसार है। इस प्रकार जो प्रारम्भिक डिक्री पारित की गई है वह विधि के अनुसार है। यह न्यायालय उक्त प्रारम्भिक डिक्री में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नही समझता है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ के निर्णय व प्रारंभिक डिक्री दिनांक 20.06.2018 यथावत रखा जाता है। तदनुसार पर्चा–डिक्री जारी हो। खर्चा अपना–अपना वहन करें ।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 16.12.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

16.12.19

(हरि राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर